कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।

पत्रांक– 765 /ओ0एस0डी0/2015 दिनांक– 27 जून, 2015

आदेश

प्रायः यह देखने मे आ रहा है कि जिन जमीनों की पैमाइश करके पत्थर द्वारा सीमांकन किया जा रहा है एवं जहॉ सरकारी चकमार्गो की पैमाइश कर निर्धारण किया जा रहा है, कुछ लोगो द्वारा इन सीमा चिन्हो एव चकमार्गो को अवैध रूप से क्षति पहुचायी जा रही है। जिससे सम्बन्धित अधिकतर शिकायते अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में शिकायत/तहरीर के अनुरूप निम्न धाराओं में से सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें –

1(क)– हदबन्दी के कार्य में हस्तक्षेप/पत्थर उखाड़ा जाना।

1. उ0प्र0 भूराजस्व अधिनियम की धारा 30– संकेतो को क्षतिग्रस्त करनें अथवा हटानें के लिए शास्ति।
2. भा0द0वि0 की धारा 434– लोकप्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि चिन्ह को नष्ट करनें या हटानें आदि द्वारा रिष्टि।
3. भा0द0वि0 की धारा 186– लोकसेवक के कृत्यो के निर्वहन में बाधा डालना।
4. भा0द0वि0 की धारा 332– लोकसेवक को अपनें कर्तव्य से भयोपरत करनें के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
5. भा0द0वि0 की धारा 353– लोकसेवक को अपनें कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करनें के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

(ख)– यदि पत्थर चकमार्ग का उखाड़ा गया हो या चकमार्ग में बाधा उत्पन्न की गयी हो या कब्जा किया गया हो–

1. भा0द0वि0 की धारा 283– लोकमार्ग को क्षति पहुचाना या उसमें व्यवधान उत्पन्न करना।
2. भा0द0वि0 की धारा 434– लोकप्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि चिन्ह को नष्ट करनें या हटानें आदि द्वारा रिष्टि।
3. भा0द0वि0 की धारा 186– लोकसेवक के कृत्यो के निर्वहन में बाधा डालना।

4. भा0द0वि0 की धारा 332– लोकसेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
5. भा0द0वि0 की धारा 353– लोकसेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करनें के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
6. उ0प्र0 भूराजस्व अधिनियम की धारा 30– संकेतो को क्षतिग्रस्त करनें अथवा हटानें के लिए शास्ति।

2– सार्वजनिक भूमि के उपयोग में अतिक्रमण हस्तक्षेप–

1. भा0द0वि0 की धारा 186– लोकसेवक के कृत्यो के निर्वहन में बाधा डालना।
2. भा0दवि0 की धारा 189– लोकसेवक को क्षति करनें की धमकी।
3. भा0द0वि0 की धारा 268– लोकन्यूसेंस
4. भा0द0वि0 की धारा 332– लोकसेवक को अपनें कर्तव्य से भयोपरत करनें के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
5. भा0द0वि0 की धारा 353– लोकसेवक को अपनें कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करनें के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
6. लोक सम्पत्ति को नुकसानी का (निवारण) अधिनियम, 1984 की धारा–3

3– आवंटन की भूमि में अवैध कब्जा या हस्तक्षेप–

1. यदि आवंटित भूमि कृषि हेतु है तो– यू0पी0जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की धारा 198 (ए)(2)
2. यदि आवंटित भूमि आवास हेतु है तो– यू0पी0जेड0ए0एल0आर0 एक्ट की धारा 122 (डी)

4– गॉव सभा की भूमि में हस्तक्षेप–

1. भा0द0वि0 की धारा 146– लोकसेवक के कृत्यो के निर्वहन में बाधा डालना।
2. भा0दवि0 की धारा 189– लोकसेवक को क्षति करनें की धमकी।
3. भा0द0वि0 की धारा 268– लोकन्यूसेंस
4. भा0द0वि0 की धारा 332– लोकसेवक को अपनें कर्तव्य से भयोपरत करनें के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना।
5. भा0द0वि0 की धारा 353– लोकसेवक को अपनें कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करनें के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
6. लोक सम्पत्ति को नुकसानी का (निवारण) अधिनियम, 1984 की धारा–3

5– यदि लोक सेवक के विधिक कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाती है तो भा0द0वि0 की धारा–332 एवं 353 में अभियोग पंजीकृत किया जाय।

दिनांक–

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

24/6/15

(वैभव श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट,
मऊ

पत्रांक 165/ओएसडी/15तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस अधीक्षक, मऊ।
2. अपर जिलाधिकारी, मऊ
3. अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ
4. उप संचालक, चकबन्दी, मऊ
5. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद–मऊ
6. समस्त क्षेत्राधिकारी पुलिस, जनपद–मऊ
7. बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, मऊ
8. समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, जनपद–मऊ

24/6/15

जिलाधिकारी,
मऊ

–भूमि विवाद से सम्बन्धित धाराए–

उ0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901

धारा–30 संकेतों को क्षतिग्रस्त करने अथवा हटाने के लिए शास्ति– किसी ऐसे व्यक्ति को दोषारोपित करने के लिए जिसने जानबूझकर किसी सीमा संकेत संकेत को मिटाया हो, हटाया हो या क्षतिग्रस्त किया हो और प्रत्येक इस प्रकार मिटाये गये, हटाये गये या क्षतिग्रस्त किये गये चिन्हों के लिए उस पर अधिक से अधिक 50 रूपये तक कलेक्टर जुर्माना कर सकता है जितना चिन्ह् को फिर से स्थापित करने तथा उस व्यक्ति को बतौर इनाम देने के लिए जरूरी है जिसकी सूचना पर वह व्यक्ति दोषी घोषित किया गया था। जब ऐसी धनराशि की वसूलयाबी नामुमकिन हो तथा जब अपराधी का पता न चल रहा हो, तो कलेक्टर संकेत को पुनःस्थापित करा कर उसका व्यय ऐसे भू–स्वामियों या गांव सभा के समीपस्थ स्थित खेत या गांवों को भू–धारक से जैसी भी स्थिति हो वसूल करेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

भा0द0वि0 की धारा–283–लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा– जो कोई किसी कार्य को करके या अपनें कब्जे में की, या अपने भार साधन के अधीन किसी सम्पत्ति की व्यवस्था करनें का लोप करनें द्वारा किसी लोकमार्ग या नौपरिवहन के लोकपथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षतिकारित करेगा वह जर्मुनाने से जो 200/– रू0 तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा।

भा0द0वि0–धारा–434 लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये भूमि चिन्ह् को नष्ट करने या हटाने आदि द्वारा रिष्टि – जो कोई लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा लगाये गये किसी भूमि चिन्ह के नष्ट करने या हटाने द्वारा अथवा कोई ऐसा कार्य करने द्वारा जिससे ऐसा भूमि चिन्ह ऐसे भूमि चिन्ह के रूप में कम उपयोगी बन जाये रिष्टि करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

भा0द0वि0–धारा–186 लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना – जो कोई भी लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा डालेगा वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

भा0द0वि0–धारा–189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी – जो कोई किसी लोक सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उस लोक सेवक के हितबद्ध होने का उसे विश्वास हो, इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देगा कि उस लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जाय कि वह ऐसे लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे, या करने से प्रविरत रहे, या करने में बिलम्ब करे, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

भा0द0वि0–धारा–268 लोक न्यूसेंस – वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है, जो कोई ऐसा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है, जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आस–पास मे में रहते हैं या आसपास की सम्पत्ती पर अधिभोग रखते हों, कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो या जिसमें उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग मे लाने का मौका पडे, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यम्भावी हो।

कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उसे कुछ असुविधा या भलाई कारित होती है।

क्रमशः 02

भा0द0वि0–धारा–290 अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दण्ड – जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दण्डनीय नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

भा0द0वि0–धारा–332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना – जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक हो, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को, वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित या भयोपरत करे अथवा वैसे लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तब्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किये जाने के लिए प्रयातित किसी बात के परिणामस्वरूप स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

भा0द0वि0–धारा–353 लोक सेवक को अपने कर्तव्यों के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग – जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणाम स्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनो से, दण्डित किया जायेगा।

धारा–3 लोक सम्पत्ति को नुकसानी का (निवारण) अधिनियम, 1984

(1)जो कोई उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकृति की लोक सम्पत्ति के सिवाय किसी लोक सम्पत्ति की बाबत किसी कार्य को करके कारित करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पॉच वर्ष तक की हो सकगी और जुर्मान से दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई लोक सम्पत्ति को निम्न प्रकार की होते हुए किसी कार्य को करके कारित करतो है।

(क) जल, प्रकाश, बिजली या ऊर्जा के उत्पादन वितरण या आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति।

(ख) कोई तेल प्रतिष्ठान।

(ग) कोई मल संकर्म।

(घ) कोई खान या कारखाना।

(ड.) लोक परिवहन या दूरसंचार का कोई साधन अथवा उससे सम्बन्धित प्रयुक्त कोई भवन प्रतिष्ठान या अन्य सम्पत्ति।

वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त धारा में से वर्णित अपराध कारित करने पर तहरीर के मुताबिक उपरोक्त धाराओं व अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।